



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122025-268396
CG-DL-E-10122025-268396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5538]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947

No. 5538]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5726(अ).— केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 (जिन्हें इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है) के नियम 54 के परंतुक के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित विनिर्माताओं को मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन और उनके सॉल्ट्स (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एल्कलॉइड्स कहा गया है) को सिर्फ आयात की जाने वाली ओषधि या विनिर्मिति में उपयोग करने के लिए आयात करने की अनुज्ञा है और ये विनिर्माताओं इन नियम के नियम 55, नियम 56, नियम 58, नियम 59 और नियम 62 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और नीचे दी गई शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात्:-

- (क) आयातित एल्कलॉइड युक्त ओषधि या विनिर्मिति का निर्यात, आयात की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा जिसे स्वापक आयुक्त को ऐसे विस्तार के कारणों और आधारों के साथ आवेदन करके तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है परंतु इसके विस्तार सहित कुल अवधि किसी भी मामले में दो सौ सत्तर दिन से अधिक नहीं होगी;
- (ख) निर्यात के लिए मॉर्फिन, कोडीन, थेबाइन और उनके सॉल्ट या तैयार विनिर्मिति की कोई भी मात्रा, जिसका उपयोग नहीं हुआ है, उसे सरकारी अफीम और एल्कलॉइड वर्क्स को सौंप दिया जाएगा।

(ग) ऐसी अन्य शर्तें और सीमाएँ जो स्वापक आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

सारणी

क्रम संख्या	निर्माताओं का नाम और पता
1.	मैसर्स ट्रोइका फार्मास्यूटिकल्स, ट्रोइका हाउस, सत्य मार्ग, बोडकदेव, अहमदाबाद, गुजरात – 380054 ।
2.	मैसर्स जीपेक इंटरनेशनल, 318/22-24, काकड कॉर्नर, सर एमवी रोड, अंधेरी (ई), लैंडमार्क-एक्सिस बैंक के सामने, मुंबई – 400059 ।
3.	मैसर्स रुसान फार्मा लिमिटेड, 58-डी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067 ।
4.	मैसर्स वॉकहार्ट लिमिटेड, वॉकहार्ट टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400051 ।
5.	मैसर्स एडकॉक इनग्राम लिमिटेड, 49-सी और डी, बोम्मासांद्रा औद्योगिक क्षेत्र, अनेकल तालुक, बेंगलुरु-560099 ।
6.	मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सन हाउस, प्लॉट नंबर 201 बी1, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ई), मुंबई-400063 ।
7.	मैसर्स जेंटिवा प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 3501 से 3515, 6301 से 6313 और 16 मीटर रोड, जीआईडीसी एस्टेट, अंकलेश्वर, भरूच जिला, गुजरात-393002 ।
8.	मैसर्स श्री कृष्णा फार्मा, सी-4 औद्योगिक क्षेत्र, उप्पल खालसा (वी) उप्पल (एम), मेडचल-मलकाजगिरी, हैदराबाद-500039, तेलंगाना ।
9.	मैसर्स वर्वे ह्यूमन केयर लेबोर्ट्रीज, प्लॉट नंबर 15ए, फार्मसी, सेलाकुई, देहरादून-248011, उत्तराखंड ।
10.	एक्मे जेनरिक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 115, एचपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया दावनी, पोस्ट ऑफिस गुरु माजरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन (एचपी)-174101 ।
11.	मैसर्स सनोफी इंडिया लिमिटेड, सनोफी हाउस, सीटीबी नंबर 117-बी, एलएंडटी बिजनेस पार्क, साकी विहार रोड, पवई, मुंबई-400072 ।
12.	मैसर्स अल्फामेड विनिर्मिति प्राइवेट लिमिटेड, सर्वे नंबर 225, संपनबोले गांव, शमीरपेट, मंडल, मेडचल-मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना-500101 ।
13.	मैसर्स एस्त्री केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, फैक्ट्री प्लॉट नंबर S117, S118, S119 और S120, सिपकोट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, फेज- III, सिपकोट, मुगुंदरायपुरम, रानीपेट-632405
14.	मैसर्स माइक्रो ओर्गो केम, 57, सी-1/बी, एलआईसी सेक्टर, जीआईडीसी, वापी-396195, गुजरात ।
15.	मैसर्स इंटॉस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कॉर्पोरेट हाउस, सोला ब्रिज के पास, एसजी हाईवे, थलतेज, अहमदाबाद-380054

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 31 दिसंबर, 2027 तक प्रवृत्त रहेगी ।

3. 31 दिसंबर, 2027 तक प्ररूप 4क में जारी किया गया कोई भी आयात प्रमाणपत्र, आयात प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों तक के लिए विधिमान्य रहेगा ।

[फा. सं. एन.11012/1/2013-एसओ(एनसी-II)]

विनोद कुमार, निदेशक (स्वापक नियंत्रण)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2025

S.O. 5726(E).— In pursuance of the proviso to rule 54 of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government, hereby notifies that the manufacturers mentioned in the Table below are permitted to import morphine, codeine, thebaine and their salts (hereinafter called alkaloids) for use exclusively in manufacture of drugs or formulations to be exported and the said manufacturers shall comply with the procedure specified in rules 55, 56, 58, 59 and 62 of the said rules, and the following conditions, namely:-

- (a) the drug or the formulation containing the imported alkaloids shall be exported within a period of one hundred and eighty days from the date of import which may be extended by a further period not exceeding thirty days by making an application to the Narcotics Commissioner with the reasons and grounds of such extension provided that the total period including extension thereof shall not exceed two hundred and seventy days in any case;
- (b) any quantity of morphine, codeine, thebaine and their salts or finished formulations for export that remain unutilised shall be surrendered to the Government Opium and Alkaloids Works.
- (c) such other conditions and limitations as may be specified by the Narcotics Commissioner.

TABLE

Sl. No.	Name and Address of manufacturers
1.	M/s. Troikaa Pharmaceuticals, Troikaa House, Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat – 380054.
2.	M/s. Gepach International, 318/22-24, Kakad Corner, Sir M.V. Road, Andheri (E), Landmark-Opp Axis Bank, Mumbai – 400059.
3.	M/s. Rusan Pharma Ltd., 58-D, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali (W), Mumbai – 400067.
4.	M/s. Wockhardt Limited, Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Mumbai – 400051.
5.	M/s Adcock Ingram Ltd., 49-C and D, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bangaluru-560099
6.	M/s Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Sun House, Plot No. 201 B1, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai-400063
7.	M/s Zentiva Pvt. Ltd. Plot No. 3501 to 3515, 6301 to 6313 & 16 meter road, GIDC Estate, Ankleshwar, Bharuch District, Gujarat-393002
8.	M/s Sri Krishna Pharma, C-4 Industrial Area, Uppal Khalsa (V) Uppal (M), Medchal-Malkajgiri, Hyderabad-500039, Telangana
9.	M/s Verve Human Care Laboratories, Plot No. 15A, Pharmacy, Selaqui, Dehradun-248011, Uttarakhand
10.	Acme Generics Pvt. Ltd., Plot No. 115, HPSIDC Industrial Area Davni, P.O. Guru Majra, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (H.P)-174101
11.	M/s Sanofi India Limited, Sanofi House, CTB No. 117-B, L&T Business Park, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai-400072
12.	M/s Alphamed Formulations Private Limited, Survey No 225, Sampanbole Village, Shamirpet, Mandal, Medchal-Malkajgiri Dist. Telangana-500101
13.	M/s Sthree Chemicals Pvt. Ltd., Factory Plot No. S117, S118, S119 & S120, Sipcot Industrial Complex, Phase-III, Sipcot, Mugundarayapuram, Ranipet-632405
14.	M/s Micro Orgo Chem, 57, C-1/B, LIC Sector, GIDC, Vapi-396195, Gujarat
15.	M/s Intas Pharmaceuticals Ltd., Corporate House, Near Sola Bridge, S.G. Highway, Thaltej, Ahmedabad-380054

2. This notification shall remain in force from the date of its publication in the Official Gazette till the 31st day of December, 2027.

3. Any import certificate issued in Form 4A upto 31st day of December, 2027 shall be valid for a period upto one hundred and eighty days from the date of issue of the import certificate.

[F. No. N.11012/1/2013-SO(NC-II)]

VINOD KUMAR, Director (Narcotics Control)